उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2

संख्या-66/सीपी 1140/84-2-2014-सीपी 2/2014

लखनऊ : दिनांक : 19 नवम्बर, 2014

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या-68 सन् 1986) की धारा-16 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल उक्त धारा की उपधारा (1)(1-क) के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित व्यक्तियों को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि अथवा 67 वर्ष की आयु, इनमें जो भी पूर्ववर्ती हो, तक के लिए नियुक्त करते हैं।

2. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व विज्ञापन में अपेक्षित अर्हताओं से सम्बन्धित अभिलेख तथा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन के वांछना की संवीक्षा की पूर्ति अवश्य करा ली जाय।

अनुसूची

क्र0 सं0	नियुक्त व्यक्ति का नाम और पता	नियुक्त व्यक्ति की जन्म तिथि	पद का नाम
1	2	3	4
1	श्री राज कमल गुप्ता पुत्र श्री श्रीराम गुप्ता, पी0सी0एस0 (सेवानिवृत्त), 3/80, विक्रान्तखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।	01.01.1952	सदस्य (पूर्णकालिक)
2	श्री रवीन्द्र दत्त पालीवाल पुत्र स्व0 श्री पी0डी0 पालीवाल, पी0सी0एस0 (सेवानिवृत्त), 4, जौंस बंगला, जीवनी मण्डी, आगरा।	15.08.1954	सदस्य (पूर्णकालिक)

3. राज्य आयोग में सदस्य पद पर नियुक्त उपर्युक्त सदस्य उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 के नियम 6(1)(क) एवं 6(1)(ग) में प्रावधानित मानदेय एवं मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगें तथा शासनादेश संख्या-सीपी 502/84-2-2010-सीपी 29/99, दिनांक 07 जनवरी, 2011 में प्रावधानित वाहन भत्ता भी प्राप्त करेंगें।

आज्ञा से,

बी0एम0 मीना

प्रमुख सचिव।

.....2.....

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या - 66/सीपी 1140(1)/84-2-2014-सीपी 2/2014 तद दिनांक

प्रतिलिपि - अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर सहित, निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को आज दिनांक 19 नवम्बर, 2014 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेई)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या - 66/सीपी 1140(2)/84-2-2014-सीपी 2/2014 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।

(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(3) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि नियुक्त अभ्यर्थी की आयु शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं सम्बन्धित अभिलेखों को मूल प्रमाण-पत्रों से जांच लें तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेषित किये गये चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट अवश्य देख लें और इन सभी के सही होने की दशा में ही नियुक्त अभ्यर्थी को राज्य आयोग में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा उसकी सूचना शासन को भी प्रेषित की जाय। उक्त के अतिरिक्त उपर्युक्त नियुक्त राज्य आयोग के सदस्यों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति देने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र कि नियुक्त अभ्यर्थी वर्तमान में किसी रोजगार अथवा व्यवसाय में लिप्त नहीं है, प्राप्त कर संतुष्ट होने की दशा में अनुमति देने का कष्ट करेंगे।

(4) जिलाधिकारी, लखनऊ।

(5) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

(7) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।

(8) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

....3.....

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि यह नियुक्ति इस शर्त के अधीन है कि चरित्र सत्यापन के उपरांत निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा राज्य आयोग में कार्यभार ग्रहण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। चरित्र सत्यापन में यदि अभ्यर्थी को उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। निबन्धक, राज्य आयोग से कार्यभार ग्रहण सम्बन्धी पत्र प्राप्त होने पर पन्द्रह दिवसों के अंदर आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि अभिलेखों के मूल प्रमाण-पत्रों तथा वर्तमान में किसी रोजगार अथवा व्यवसाय में लिप्त नहीं हैं, के शपथ-पत्र सहित राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है (द्वारा रजिस्टर्ड डाक)।

(10) समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उ0प्र0 (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)

(11) मीडिया प्रभारी, मुख्य सचिव/विशेष कार्याधिकारी (मीडिया), उ0प्र0 शासन।

(12) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

Uttar Pradesh Shasan
Upbhokta Sanrachan Evam Bant Map Anubhag -2
No. 66/C.P 1140/ 84-2-2014-C.P. 2/2014
Lucknow :: Dated :: 19 November, 2014

Notification

In Pursuance of the Provisions of clause (3) of Article-348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 66/C.P 1140/ 84-2-2014-C.P. 2/2014 dated 19 November, 2014

No. 66/C.P 1140/ 84-2-2014-C.P. 2/2014
Lucknow :: Dated :: 19 November, 2014

In exercise of the powers under Section-16 of the Consumer Protection Act (Act no. 68 of 1986), the Governor on recommendation of the selection committee constituted under subsection (1)(1A) of the said Section, is pleased to appoint following persons to the office of the Members with effect from the date of their taking over charge for five years or upto the age of 67 years which ever is earlier in the State Consumer Disputes Redressal Commission, Uttar Pradesh, Lucknow.

2- Registrar, State Consumer redressal Commission, U.P. Lucknow shall ensure that relevant papers regarding eligibility as given in the advertisement and character verification certificate from District Magistrate/Superintendent of Police of the persons appointed are duly scrutinized before joining.

S.No.	Name & Address of the person appointed	Date of Birth of the person appointed	Name of the Post
1	Shri Raj Kamal Gupta S/o Shri Shriram Gupta, P.C.S. (Retd.) 3/80, Vikrant Khand, GomtiNagar, Lucknow	01.01.1952	Member (Whole Time)
2	Shri Ravindra Dutt Paliwal S/o Shri P.D. Paliwal, P.C.S. (Retd.), 4, Jauns Bangla, Jeevani Mandi, Agra.	15.08.1954	Member (Whole Time)

2. The above appointed members of State Commission will be entitled to get the honorarium and house rent allowance as prescribed in Rule 6(1)(a) and 6(1)(c) of the U.P. Consumer Protection Rules-1987 and will also get conveyance allowance, sanctioned under G.O. No. C.P. 502/84-2-2010-C.P. 29/99, dated 07th January, 2011

By Order,

(B. M. Meena)
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.nic.in